न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्या: 275/2014 एल.आर.एक्ट GCMSNo. 2014/00148

गुरजिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द सिंह पुत्र श्री सम्पूर्णसिंह जाति जट सिंख निवासी गांव बहैवल कला तहसील जैतु जिला फरीदकोट पंजाब हाल चक 4 एस.पी.एस. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——— प्रार्थी

—: बनाम :—

1. गुरदयाल कौर धर्मपत्नि श्री प्यारासिंह पुत्री श्री सम्पूर्णसिंह जाति जट सिख निवासी 12 ए.एफ. तहसील श्रीकरणपुर ——— मृतक – जरिये विधिक प्रतिनिधि।
   1/1 सुखदेवकौर धर्मपत्नि श्री जंगसिंह जाति जटसिख मार्फत श्री जंगसिंह
   1/2 जिन्दपाल कौर धर्मपत्नि श्री मलसिंह जाति जटसिख
2. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री सम्पूर्णसिंह जाति जटसिख पुत्र श्री लधासिंह मृतक – जरिये विधिक प्रतिनिधि।
   2/1 मोहन सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख
   2/2 अमरीक सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह
   2/3 बीरो कौर धर्मपत्नि श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख
3. सरदार सिंह पुत्र श्री सम्पूर्णसिंह पुत्र श्री लधासिंह जाति जटसिख मृतक – जरिये विधिक प्रतिनिधि।
   3/1 मलकीतसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जाति जटसिख
4. जोगिन्दरकौर धर्मपत्नि श्री हरदयालसिंह पुत्री श्री सम्पूर्णसिंह जाति जटसिख मृतक – जरिये विधिक प्रतिनिधि।
   4/1 रशविन्द्र कौर पुत्री श्रीमति जोगिन्दरकौर धर्मपत्नि श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति मान
   4/2 दलजीत कौर पुत्री श्रीमति जोगिन्दरकौर धर्मपत्नि श्री दर्शनसिंह पुत्र श्री हजूरसिंह जाति जटसिख
   4/3 सुखदेव सिंह पुत्र श्रीमति जोगिन्दर कौर धर्मपत्नि श्री हरदयाल सिंह जटसिख
   4/4 निछतर सिंह पुत्र श्रीमति जोगिन्दर कौर धर्मपत्नि श्री हरदयाल सिंह जटसिख
5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज

——— अप्रार्थीगण

उपस्थित: श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक : 31.08.2021

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 27.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है–

1– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 4 एस.पी.एस. तहसील अनूपगढ की 216 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 54 बीघा मृतक गुरबक्श सिंह पुत्र श्री सम्पूर्णसिंह के नाम खातेदारी भूमि थी। गुरबक्श सिंह का देहान्त दिनांक 25.12.1992 को हो गया था। गुरबक्श सिंह ने अपनी समस्त सम्पति की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 22.08.1992 को कर दी। मुताबिक वसीयत नामान्तरकरण हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ को प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 31.12.2005 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी ने इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ में एक अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ ने उक्त अपील दिनांक 27.10.2008 को खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– अपील में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4/1 व 4/3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो गये थे एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स के निवास स्थान अनुसार संबंधित जिले एवं राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में अखबार साया के बावजूद न तो रेस्पोडेन्ट्स स्वयं और न ही उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिवक्ता इस प्रकरण में उपस्थित हुआ है।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो को ही अपनी बहस होना बताया है। अपील मीमो अनुसार न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) का आदेश दिनांक 31.12.2005 एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा जैर बहस आदेश दिनांक 27.10.2008 तथ्यों, विधि एवं न्याय की अनदेखी कर पारित किये गये है। आदेश दिनांक 31.12.2005 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ एवं जैर बहस आदेश दिनांक 27.10.2008 अपास्त किये जाने योग्य है। जैर अपील भूमि वाके 4 एस.पी.एस. तहसील अनूपगढ़ की 216 बीघा भूमि में से 1/4 अर्थात् 54 बीघा भूमि में मृतक गुरबक्श सिंह पुत्र श्री सम्पूर्णसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि थी, उक्त भूमि की वसीयत गुरबक्श सिंह द्वारा दिनांक 22.08.1992 को अपनी मृत्यु दिनांक 25.12.1992 से पूर्व अपीलार्थी के पक्ष में कर दी थी। अपीलार्थी ने तहसीलदार अनूपगढ़ को मुताबिक वसीयत नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा बिना सुनवाई के दिनांक 31.12.2005 को खारिज कर दिया गया। तदुपरांत प्रार्थी द्वारा

माननीय आयुक्त
श्रीगंगानगर

तहसीलदार अनूपगढ के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त अपील दिनांक 27.10.2008 को खारिज कर दी गई। अधिनस्थ दोनो न्यायालयों द्वारा प्रार्थी की अपील इस बिन्दु के आधार पर खारिज कर दी गई कि प्रार्थी की वसीयत अपंजीकृत है, जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध है। अपीलार्थी का इस संदर्भ में यह तथ्य है कि वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में जब पंजाब प्रान्त की ट्रायल कोर्ट एवं अपीलीय न्यायालय से उसके पक्ष में निर्णय एवं डिक्री हो चुकी है। इस तरह अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पंजाब प्रान्त की ट्रायल कोर्ट एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निर्णय करना स्पष्ट रूप से सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की अवमानना है। अतः तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित दोनों अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी की वसीयत अपंजीकृत होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिया, वह उचित है। चूंकि प्रार्थी पंजाब प्रान्त का निवासी है एवं प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी विलंब से प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जा सकता है।

5— अपील मीमो अनुसार यह अपील आलौच्य आदेश दिनांक 27.10.2008 के विरूद्ध 60 दिवस के अन्दर अर्थात् 26.12.2008 तक पेश की जानी चाहिए थी, परन्तु अपीलार्थी प्रायः पंजाब में रहता है तथा अभिभाषक द्वारा जो पत्र अपीलार्थी को दिया गया वह अपीलार्थी को पंजाब प्रान्त के स्थायी पते पर दिनांक 28.01.2009 को प्राप्त हुआ, तब आलौच्य आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात् राजस्थान आकर आलौच्य आदेश की नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के अभिभाषक को दिनांक 30.01.2009 को नकल प्राप्त हुई। इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.02.2009 को प्रस्तुत की। अतः इन परिस्थितियों में अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम अन्तर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा जैर अपील भूमि में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न वसीयत प्रति दिनांक 22.08.1992 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर प्रार्थना पत्र खारिज किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ ने न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ का आदेश दिनांक 31.12.2008

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को नियमानुसार सही मानकर अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की।

उपरोक्त विवेचना को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2008 यथावत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर